(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4114–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 198/अपील/2009–10.

.....

1–ईश्वर सिंह एवं पूनमसिंह अवयस्क
बली पिता सुमेर सिंह संरक्षक सुमेरसिंह
आ0गुलदारसिंह राजपूत निवासी ग्राम बिच्छापुर
तहसील टिमरनी जिला हरदा
2–श्रीमती अलताफ बी पुत्री बाबू खॉ
पत्नी सईद खां निवासी ग्राम झाडपा
तहसील टिमरनी जिला हरदा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रसूल खॉ आ0 नत्थू खां
निवासी ग्राम उमरिया तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 9/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–6/08–09 में दिनांक 19–5–2009 को आदेश पारित कर ग्राम उमरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 52/1 रकबा 14.32 एकड़ पर आवेदक कमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–6–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–11–12 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुस्लिम विधि में मुस्लिम के वारिसान अध्याय 11 सुन्नी विधि में उत्तराधिकारीगण का स्पष्ट प्रावधान है कि मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके प्रारंभिक वारिस मृतक की संतान, मृतक की संतान, मृतक के पिता एवं मृतक की मॉ होंगे । इस प्रकरण में रसूल खॉ मृतक बाबू खॉ का सुन्नी विधि अध्याय 11 के अनुसार वारिस नहीं है और इस तरह यह इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है । अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वसीयत के आधार पर स्वत्व का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादबिन्दु निर्धारित किया गया है कि क्या प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत अनावेदक के पक्ष में की गई है जिसका उत्तर नहीं में रहा है अर्थात वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश

को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) इस न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 30–8–13 को व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 29–4–11 के आधार पर आदेश पारित किया गया है, परन्तु उक्त आदेश का सूक्ष्म अवलोकन नहीं कर इस न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्व0श्री बाबू खॉ ने अपनी अंतिम पंजीकृत वसीयत अनावेदक के पक्ष में निष्पादित की थी और इस न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक रसूल खॉ स्व0बाबू खॉ के सगे भाई फत्तू खॉ के पुत्र है और उक्त वसीयतनामा को बाबू खॉ ने पूर्व में अपनी पुत्री के पक्ष में किये गये वसीयतनामे को निरस्त करके रजिस्ट्रार ऑफिस से निष्पादित करवाई थी । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील विचाराधीन रहते आवेदक कमांक 2 ने आनन–फानन में आवेदक कमांक 1 के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया गया । उक्त कृत्य यह प्रदर्शित करता है कि आवेदक कमांक 1 को मालूम था कि उक्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्य उसके पास नहीं है इसलिये वादग्रस्त भूमि को विकय कर दे । लिखित तर्क में यह कहा कि आवेदक कमांक 2 को सिर्फ अपने पिता की संपत्ति को किसी प्रकार हथियाने और आनन फानन में उसे विकय करने की जल्दी थी जिसक कारण से उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि से संबंधित अपील के प्रचलन रहते हुये आवेदक कमांक 1 के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र के निष्पादित कर वादग्रस्त भूमि को और विवादित कर दिया गया ।

(2) मृतक भूमिस्वामी का कोई पुत्र नहीं था इसलिये अनावेदक को वह अपना सगा पुत्र मानते थे इसी कारण उसके पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित किया गया है।

(3) इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कोई जॉच नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का भौतिक कब्जा है और 19 वर्ष से निरन्तर चला आ रहा है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अनावेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के निर्देश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर